

दहेज मुक्त्यु

Prepared By-

Gaurav Rana (Computer Teacher)

Police Training College

Moradabad

Presented By-

A K Gautam (SPO)

Police Training College

Moradabad

दहेज मृत्यु

धारा 304 बी भारतीय दण्ड विधान

1—किसी स्त्री की मृत्यु विवाह के 07 वर्ष के भीतर

2—जलने से या शारीरिक चोटों के कारण या असमान्य परिस्थितियों में हुई हो।

3—मृत्यु से ठीक पूर्व soon before her death ।

4—उसके पति या पति के रिश्तेदारों द्वारा दहेज की माँग के लिये या दहेज के सम्बन्ध में स्त्री के साथ क्रूरता की हो या तंग व परेशान किया गया हो, तो ऐसी मृत्यु, दहेज मृत्यु कहलाती है।

सजा— न्यूनतम 07 वर्ष कारावास

अधिकतम—आजीवन कारावास

मृत्यु से तात्पर्य हत्या नहीं है। मृत्यु में आत्महत्या भी शामिल है।

(जे०आई०सी 2003(1) एससी (एफबी) पेज न० 67
के० प्रेमशंकर राव बनाम यादला श्रीनिवास)

दहेज मृत्यु से सम्बन्धित उपधारणा धारा 113 बी
भारतीय साक्ष्य अधिनियम में है

कि न्यायालय उक्त बातों का साक्ष्य दिये जाने पर दहेज मृत्यु
की उपधारणा करेगा (shall presume)

मृत्यु से ठीक पूर्व का तात्पर्य:— ऐसी कूरता (शारीरिक
या मानसिक) या उत्पीडन, जो स्त्री की मृत्यु से कुछ पूर्व किया
गया हो। मृत्यु से तत्काल पूर्व (immediately before her death)
होना आवश्यक नहीं है।

“मृत्यु से ठीक पूर्व को आकर्षित करने के लिय आवश्यक है कि ऐसा साक्ष्य (चाहे मौखिक या दस्तावेजी या इलेक्ट्रानिक साक्ष्य) हो कि मृत्यु पूर्व शिकार हुई स्त्री को कूरता या उत्पीड़न के अध्याधीन किया गया था। मा० उच्चतम न्यायालय ने कंसराज बनाम स्टेट आफ पंजाब 200 (2) जे०आई०सी० पेज न०—353 पूर्णपीठ में कहा कि “मृत्यु से ठीक पूर्व” की कोई समय सीमा तो निर्धारित नहीं की जा सकती। प्रत्येक मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर यह निर्भर करेगा। मृत्यु से पूर्व, दहेज के लिय प्रताडना जितने कम अवधि की होगी उतनी ही विश्वसनीय होगी।

धारा 304 बी भा०द०वि० मे “दहेज” शब्द का तात्पर्य वही हो जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 2 मे वर्णित है।

दहेज का आशय

(क) विवाह के एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष के लिये, या

(ख) विवाह के किसी एक पक्ष के माता-पिता या अन्य व्यक्ति द्वारा विवाह के दूसरे पक्ष या अन्य किसी व्यक्ति के लिये।

विवाह करने के सम्बन्ध, विवाह के समय या उसके पूर्व या पश्चात किसी समय प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दी जाने या दी जाने के लिये प्रतिज्ञा की गई किसी सम्पत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति से है, किन्तु इसमें "मेहर" शामिल नहीं है।

धारा 304बी भा०द०वि० मे कूरता का तात्पर्य वही है जो धारा 498ए भा०द०वि० मे है।

धारा 498 क, भा0द0वि0

1—किसी स्त्री के पति या रिश्तेदार द्वारा उसके प्रति क्रूरता से तात्पर्य

(क) जानबूझकर किया गया कोई आचरण जो स्त्री को आत्महत्या करने के लिये प्रेरित करे या स्त्री के जीवन अंग या स्वास्थ्य (चाहे मानसिक या शारीरिक) गंभीर क्षति या खतरा कारित करने की सम्भावना है।

(ख) किसी स्त्री को इस दृष्टि से तंग करना कि उसका या उसके नातेदार को किसी सम्पत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति की माँग पूरी करने के लिये प्रपीडित किया जाए, या किसी स्त्री को इस कारण तंग करना कि उसका कोई नातेदार ऐसी माँग पूरी करने में असफल रहा है।

धारा 113 क— साक्ष्य अधिनियम—

किसी विवाहित स्त्री द्वारा विवाह के 07 वर्ष के अन्दर आत्महत्या के दुष्प्रेरणा के बारे में उपधारणा (may presume) यदि यह प्रदर्शित कर दिया गया है कि स्त्री के पति या पति के रिश्तेदारों द्वारा स्त्री के साथ कूरता की थी एवं 2—स्त्री द्वारा विवाह के 07 वर्ष के भीतर आत्महत्या की है, तो न्यायालय यह उपधारण कर सकेगा (may presume) कि ऐसी आत्महत्या स्त्री के पति या पति के रिश्तेदारों द्वारा उत्प्रेरित की गई थी।

नोट— 113 क, 113 ब भारतीय साक्ष्य अधिनियम की उपधारण खण्डनीय है।

साक्षियों की परीक्षा

धारा 135:— भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अनुसार परीक्षा का क्रम क्रमशः 1— सिविल व दण्ड प्रक्रिया संहिता में अंकित पद्धति द्वारा नियमित है या

2— किसी विधि के आभाव में न्यायालय के विवेक पर निर्भर होता है
धारा 137 परीक्षा तीन प्रकार की होती है:—

1— मुख्य परीक्षा:— सर्वप्रथम किसी साक्षी की उस पक्षकार द्वारा, जो उसे बुलाता है, परीक्षा करना मुख्य परीक्षा कहा जाता है।

उद्देश्य:— साक्षी से मुख्य बिन्दु व सुसंगत तथ्यों के बारे में पूछना व साक्ष्य की पुष्टि।

2— प्रति परीक्षा (जिरह):— किसी साक्षी द्वारा प्रतिपक्षी द्वारा, की गई परीक्षा उसकी प्रतिपरीक्षा कहलाएगी।

उद्देश्य— सत्यता की जाँच

पुनः परीक्षा:— किसी साक्षी की प्रतिपरीक्षा के पश्चात् उसको उस पक्षकार के द्वारा, जिसने बुलाया था, परीक्षा पुनः परीक्षा कहलायेगी।

उद्देश्य:— प्रतिपरीक्षा में जो नया तथ्य आ गया है उसका स्पष्ट करना।

धारा 138:— परीक्षाओं का क्रम:—

- 1— मुख्य परीक्षा
 - 2— प्रति परीक्षा
 - 3— पुनः परीक्षा
-

एनयमात्
